



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्राधिकरण की लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले भवनों (लैण्ड मार्क टावर्स) में 02 बेडरूम एवं 03 बेडरूम भवन (अपार्टमेन्ट) प्राप्त करने का सुनहरा अवसर : **माडल फ्लैट तैयार**



पंजीकरण तिथि दिनांक 22-10-2011 से 22-11-2011 तक

Web Site : www.vdavns.org

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिन्धौरा रोड पर सर्किट हाउस से मात्र 4.0 किमी० की दूरी पर पूर्णतः नियोजित/विकसित लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सात आवासीय तलों में 02 बेडरूम एवं 03 बेडरूम के फ्लैट (अपार्टमेन्ट) का निर्माण प्रगति पर है। इन भवनों के आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भवनों का आवंटन पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य लाटरी के माध्यम से किया जायेगा, लाटरी तिथि की सूचना बाद में दी जायेगी।

आवंटन के इच्छुक व्यक्ति जिनके परिवार (पति/पत्नी एवं नाबालिग बच्चों) के नाम से प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भूमि/भवन न हो, निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ सम्बन्धित भवनों के लिए निम्नानुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि जो नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जमा किया जाना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी अधोहस्ताक्षरी/प्राधिकरण कार्यालय के सम्पत्ति विभाग से प्राप्त की जा सकती है। योजना का ब्रोशर आवेदन-पत्र सहित प्राधिकरण वेब साइट से डाउनलोड करने के अतिरिक्त प्राधिकरण कार्यालय से रु० 300-00 जमा करने पर अथवा डाक से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्नगत भवनों के आवंटन में शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

क्र०	भवन/अपार्टमेन्ट	अनुमानित सुपर विल्टअप क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)	भवनों की उपलब्धता	भुगतान पद्धति
1.	02 बेडरूम सामान्य	104.10	20.93	2.09	02 बेडरूम के 63 फ्लैट	आवंटन के एक माह के अन्दर पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त मूल्य की 15% धनराशि तथा अवशेष धनराशि डेढ़ वर्ष (18 माह) की छः त्रैमासिक किस्तों में देय होगी।
2.	02 बेडरूम (एक्स्ट्रा बालकनी के साथ)	111.22	21.89	2.19		
3.	02 बेडरूम (बड़ी टैरेस के साथ)	131.86	24.65	2.46		
4.	03 बेडरूम	139.07	27.96	2.80	03 बेडरूम के 31 फ्लैट	

नोट : 1- भवन/अपार्टमेन्ट के सुपर विल्टअप क्षेत्रफल में अन्तर की स्थिति में तदनुसार मूल्य देय होगा।

2- इस पंजीकरण अवधि के बाद भवनों के मूल्य में वृद्धि हो सकती है।

3- पंजीकरण धनराशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में स्वीकार की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी" के नाम से देय होगा।

(अनिल भटनागर)

(के० एन० सिंह)

(आर०पी० गोस्वामी)

अपर सचिव/प्र०अ०(सम्पत्ति)

सचिव

उपाध्यक्ष

दूरभाष नं०-9628372905

दूरभाष नं०-9628372903

दूरभाष नं०-9628372902